

07.04.2022

अपीलांट/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में देरी होना बताया गया है जो सदभावनापूर्ण पाया जाता है। अतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को प्रस्तुत होने में हुई विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ. ^{Bello} भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

